दिनांक 21.09.2016 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नॉर्थ एवं साउथ बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में विद्युत कम्पनी के पदाधिकारियों, सभी जिला के जिला पदाधिकारियों एवं सभी प्रमण्डलीय आयुक्त के साथ सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

मुख्य सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारियों एवं विद्युत कम्पनी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा बताया गया कि बिजली कम्पनियाँ बिजली खरीदकर आपूर्त्ति कर रही है, किन्तु विद्युत आपूर्त्ति के अनुपात में राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। अतः विद्युत आपूर्त्ति के अनुपात में राजस्व संग्रहण भी अपेक्षित है तथा विभिन्न श्रेणी के विद्युत दर को पुनरीक्षित करना आवश्यक है। साथ ही मुख्य सचिव द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

1. सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वास्तव में जितनी बिजली की आपूर्त्ति जिले में होती है उसी अनुपात में राजस्व वसूली करना सुनिश्चित किया जाय।
2. दुर्गा पूजा के अवसर पर जिला प्रशासन से NOC प्राप्त कर पूजा–पण्डालों का वैद्य विद्युत संबंध दिया जाय। बिना वैद्य कनेशन के पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं दिया जाय।
3. दुर्गा पूजा के अवसर पर पण्डालों एवं छठ घाटों की सजावट में टोका से तार फंसाकर बिजली की चोरी पर पूरा ध्यान दिया जाय।
4. कृषि कार्य के पटवन हेतु विद्युत संबंध प्रीपेड मीटर के माध्यम से करने हेतु किसानों को जागरूक करने की जवाबदेही संबंधित कनीय विद्युत अभियंता की होगी और इसका अनुश्रवण विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल स्तर पर किया जायेगा।
5. सभी जिलाधिकारी को बताया गया कि मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के सर्वे कार्य के लिए बी0पी0एल0 का आंकड़ा सरकार द्वारा दिया गया है न कि बिजली विभाग द्वारा। अतः आंकडों का क्रॉस–भेरिफिकेशन निश्चित रूप से किया जाय। सर्वे में जानकारी मिली कि कुछ परिवारों को बिजली संबंध नहीं है लेकिन वास्तव में वे बिजली जला रहे हैं, इसका भी क्रॉस–भेरिफिकेशन कराया जाय।
6. कुछ जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत विद्युत संरचना का कार्य शत्–प्रतिशत करा लिया गया है। अतः सभी को विद्युत संबंध देने हेतु कैम्प लगाकर विद्युत संबंध दिया जाय। साथ ही इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

<u>प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को दिये गये निदेश–</u>

7 शिवहर में सर्वे का काम बहुत अच्छा है। प0चम्पारण, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, नालन्दा, शेखपुरा, मुंगेर एवं बांका में सर्वे का काम अच्छा किया गया है। नॉर्थ बिहार में वैशाली, खगड़िया, कटिहार और बेगुसराय में सर्वे का काम संतोषजनक नहीं है। अतः व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर ससमय सर्वे कार्य कराया जाय।

8 मुंगेर जिले में शत–प्रतिशत विद्युत संरचना का काम किया जा चुका है। सभी बी0पी0एल0 परिवार को विद्युत संबंध देना सुनिश्चित करें। 10 नये सहायक विद्युत अभियंता का पदस्थापन मुंगेर में किया गया है। प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया के माध्यम से तथा सभी माननीय विधायकों एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर जानकारी ली जाय कि मुंगेर में कोई बी0पी0एल0 परिवार विद्युत संबंध से छूटा हुआ/वंचित तो नहीं है। इस संबंध में मुंगेर, किशनगंज, खगड़िया एवं मधेपुरा में कैम्प आयोजन किया जाय।

9 सभी कनीय विद्युत् अभियन्ता को किये गये सर्वे को सत्यापित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्हें अनुश्रवण का कार्य भी करना है। किये गये सर्वे कार्यों की जाँच के दौरान जितने भी त्रुटि पाये गये हैं, उसका सुधार शीघ्र करवाया जाय।

10 नालन्दा जिला में विद्युत संरचना का काम अक्टुबर, 2016 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। अतः सभी बी0पी0एल0 परिवार को विद्युत संबंध देना सुनिश्चित करें।

11 सभी जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से सर्वे के आंकड़ों का क्रॉस–भेरिफिकेशन कराया जाय। जिले में जितने भी बिजली कम्पनी के अभियंता हैं उन्हें निदेशित किया गया कि आंकड़ों का Randomly जांच करें।

12 जिलाधिकारी, मधेपुरा को बताया गया कि 10 नये सहायक विद्युत अभियंताओं को सिर्फ सर्वे के आंकड़ों के क्रॉस–भेरिफिकेशन के उद्देश्य से पदस्थापित किया जायेगा। कैम्प लगाये जायें, पेपर, मिडिया सभी को सूचित किया जाय।

13 सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जिले में Executive Assistant की काफी कमी है। अतः जिला स्तर के पैनल से पर्याप्त Executive Assistant उपलब्ध कराया जाय।

14 आयुक्त, दरभंगा ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत विपत्र सुधार हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में विस्तृत ब्योरा भेजी गयी है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि प्रत्येक महीने के 15 तारीख को पिछले चार महीने से अवर प्रमण्डल स्तर पर विपत्र सुधार हेतु कैम्प लगाया जा रहा है। इस कैम्प में गलत विपत्र का सुधार कराना सुनिश्चित किया जाय। संबंधित विद्युत अधीक्षण अभियंता, आपूर्त्ति अंचल को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसका सघन अनुश्रवन करें।

15 दुर्गा पूजा एवं छठ के अवसर पर बिजली के front पर सभी जिलाधिकारी/प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता जिले में लगने वाले पण्डाल के लिए जिला प्रशासन से निर्गत लाईसेंस के बाद ही विद्युत कनेक्शन दिया जाय तथा किसी प्रकार के अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी Precautionary action लिये जाय।

16 दुर्गा पूजा से छठ पूजा के अवधि तक सभी चौक–चौराहों पर जर्जर तार बदला जाय तथा गार्ड वायर लगाना सुनिश्चित किया जाय ताकि इन अवसरों पर किसी प्रकार का दुर्घटना न हो।

17 सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध है, वहाँ पहले जमीन उपलब्ध कराकर PSS/GSS बनवाने का काम शुरु करवा दिया जाय तथा जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ निजी जमीन को लीज पॉलिसी के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की कार्रवाई किया जाय।

<u>प्रबंध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा बताया गया कि:–</u>

18 R-APDRP Area में जितने भी उपभोक्ता हैं उनका भेरिफिकेशन कर बिलिंग सायकल में लाया जाय।

19 विपत्र सुधार त्वरित गति से किया जाय।

20 संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में लाया जाय।

21 स्पॉट बिलिंग एजेंसी के भुगतान में विलम्ब नहीं किया जाय। सभी जिलाधिकारी अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करने हेतु अनुरोध किया गया।

22 आई0पी0डी0एस0/ग्रामीण इलाकों में आने वाले महीने में स्पॉट बिलिंग शुरू किया जा रहा है, लेकिन Executive Asstt. नहीं रहने के कारण काफी समस्या आ रही है। अतः सभी जिलाधिकारी से पर्याप्त संख्या में Executive Asstt. उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

23 छापामारी और डिसकनेक्शन में तेजी लायी जाय।

24 शत्–प्रतिशत मीटर रीडिंग कराया जाय।

25 सभी जिलाधिकारी से अपने स्तर पर बैठक कर सरकारी बकाया का भुगतान बिजली कम्पनी को कराने हेतु अनुरोध किया गया।

26 अवर प्रमण्डल स्तर पर प्रत्येक महीने के 15 तारीख को विपत्र सुधार कैम्प का अयोजित किया जाता है। लेकिन विपत्र सुधार हेतु Previous आवेदन लम्बित हैं। इसकी समीक्षा कर लम्बित आवेदनों का निष्पादन किया जाय।

27 परियोजना में काफी जगह पर जमीन मिल चुका है, लेकिन कई जगह अभी जमीन मिलना बाकी है। सरकारी जमीन जहाँ उपलब्ध नहीं है, वहाँ लीज के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया।

<u>विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा बैठक में रखे गये महत्वपूर्ण बिन्दु :–</u>

28 जिलाधिकारी, बक्सर ने बताया कि सर्वे का काम उनके जिले में अच्छा है। शुरू में कठिनाई हुई थी। कुछ ऐसे परिवारों को भी डाटा बेस में लिया गया है जो अनुचित रूप से बिजली जला रहे थे। बी0पी0एल0 के बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि एक ही विद्युत संबंध से कई संयुक्त परिवार विद्युत का उपभोग कर रहे

हैं। सॉफ्टवेयर में यह स्पष्ट हो जायेगा कि उस परिवार में विद्युत संबंध नहीं है लेकिन वे बिजली जला रहे हैं।

29 जिलाधिकारी, कैमूर ने बताया कि हाउस होल्ड सर्वे पर वे स्वयं अनुश्रवण करते हैं नोडल पदाधिकारी भी बना दिया गया है, वे प्रति दिन अनुश्रवण करते हैं। अनुश्रवण करने से सर्वे के काम में आशातीत सफलता मिली है, किन्तु दिया गया आंकड़ा 2.78 लाख नहीं पहुंच पायेगा क्योंकि चार बी0पी0एल0 के परिवार एक ही विद्युत संबंध लेना चाहते हैं और चारो मीटर नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए प्रतिशत कम दिख रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि सर्वे होने के बाद जो आंकड़ा आयेगा उसमें वे लोग Un-connected दिखाये जायेंगे क्योंकि एक ही मीटर से बी0पी0एल द्वारा बिजली जलाया जा रहा है।

30 जिलाधिकारी, किशनगंज ने बताया कि 177192 बी0पी0एल0 का सर्वे हुआ है।अन्तयोदय योजना के तहत लोग कार्ड ले लेते हैं एक ही मीटर पर कई परिवार बिजली जला रहे हैं। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि उनके यहाँ जितना सर्वे हुआ है उसमें 20000 का क्रॉस–भेरिफिकेशन करना था, जिसके विरूद्ध 122 का क्रॉस–भेरिफिकेशन किया गया है और वे लोग बी0पी0एल0 परिवार के ही पाये गये।

31 जिलाधिकारी, कैमूर ने बताया कि उनके यहाँ कार्यरत एजेंसी ECI का Performance अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि मोतिहारी और औरंगाबाद में EMC, भागलपुर, सीतामढ़ी एवं कटिहार में Energo, रोहतास और कैमूर में ECI एवं जहानाबाद, अरबल, लखीसराय एवं शेखपुरा में कार्यरत चङलवाड़ा एजेंसी का Performance Worst है। इन चारों एजेंसियों के शीर्ष प्रबंधक के साथ दिनांक 22.09.16 बैठक निर्धारित की गयी है। दिनांक 23.09.2016 को इनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

32 जिलाधिकारी, मधेपुरा ने बताया कि सिंहेश्वर में चार ब्लॉक है। अतः पुनर्गठन करते हुए चार प्रशाखा सृजित करने हेतु अनुरोध किया गया।

33 जिलाधिकारी, सुपौल ने बताया कि कनीय लेखा लिपिक की कमी के कारण विपत्र सुधार में कठिनाई हो रही है। अतः चार कनीय लेखा लिपिक का पदस्थापन करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त जिले में यथासम्भव कनीय लेखा लिपिक का पदस्थापन करने का निदेश दिया गया।

34 जिलाधिकारी, समस्तीपुर ने बताया कि दलसिंह सराय से रोसड़ा तक भोल्टेज की समस्या है। साथ ही रोसड़ा प्रमण्डल में प्रधान लिपिक एवं लेखापाल एवं कर्मियों की कमी बतायी गयी।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि सभी जगह यथाशीघ्र कर्मियों का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

35 जिलाधिकारी, जमुई द्वारा ट्रान्सफॉरमर की कमी बतायी गयी।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि 15 दिनों में ट्रान्सफॉरमर की समस्या दूर हो जायेगी।

36 जिलाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। पांच–छः गांव वाटर लॉगिंग के कारण छूटे हुए हैं।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि कैम्प लगाकर सभी बी0पी0एल0 परिवार को बिद्युत संबंध दिया जाय।

37 जिलाधिकारी, बांका ने बताया कि चानन – पीपरिया ग्रिड के लिए जमीन मिल गया है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। संचरण के विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा interest नहीं लिया जा रहा है।

विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण को निदेश दिया गया कि अविलम्ब काम शुरू कराया जाय।

38 आयुक्त भागलपुर को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि उनके रिपोर्ट के आधार पर फ्रेंचाईजी के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। कारण–पृच्छा करके भागलपुर के फेंचाईजी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

39 आपदा फ्रंट पर जिलाधिकारी, गोपालगंज को प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग की हैसियत से बताया गया कि अभी तक वांछित पत्र जिलाधिकारी द्वारा नहीं भेजा गया है, जिसके प्रतिउत्तर में जिलाधिकारी ने आज ही दिनांक 21.09.2016 को भेजने की बात की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि गोपालगंज में जहाँ कटाव हुई है, उस जगह काफी तेजी से कटाव हो रही है।

40 आपदा फ्रंट पर जिलाधिकारी, बांका ने बतया कि जिले में कई पोखर है, जहाँ छिटपूट घटनाएं होती है, वहाँ महाजाल खरीदना है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के हैसियत से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा कहा गया कि महाजाल की खरीद कर ली जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव

ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक प्र02/विविध वि0कं0–18/13– पटना,दिनांक

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक प्र02/विविध वि0कं0–18/13– 3068 पटना,दिनांक 18/11/2016

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/16
सरकार के उप सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

(2)